सं. VI-डीएंडपी/653/2020-21/टीडीटी

भारत सरकार

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

टेक्नोलॉजी भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 24 मार्च, 2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय: विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के औषध एवं भेषज अनुसंधान कार्यक्रम (डीपीआरपी) के अंतर्गत द्विपक्षीय करार के माध्यस्थम् खंड में संशोधन।

औषध एवं भेषज अनुसंधान कार्यक्रम (डीपीआरपी), टीडीटी प्रभाग, डीएसटी के अंतर्गत हस्ताक्षरित द्विपक्षीय करारों का संदर्भ जिसमें खंड सं. 14 **"माध्यस्थम्"** से संबंधित है।

आज की तारीख में प्रभावी, माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम, 1996 में सांविधिक संशोधन के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा माध्यस्थम् खंड को संस्थागत माध्यस्थम् उपबंध से प्रतिस्थापित करते हुए उक्त खंड में संशोधन हेतु अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

"माध्यस्थम्" संबंधी खंड को उसके समग्र रूप में संशोधित किया जाता है और अब इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

" शासी कानून, विवाद समाधान एवं अधिकार क्षेत्र

क. यह करार भारत के विधानों द्वारा अभिशासित होगा और इसका अर्थ उन्हीं के अनुसार निकाला जाएगा।

ख. विवाद समाधान

(i) इस करार के निबंधनों या इसकी समाप्ति, उल्लंघन, इसकी व्याख्या और वैधता सहित अमान्यता, और इसके पक्षकारों के संबंधित अधिकारों और दायित्वों से उत्पन्न या उससे जुड़े अथवा उसके संबंध में सभी या किसी विवाद, प्रतिवाद, दावा या असहमति को, जिसे तीस (30) कैलेंडर दिनों के भीतर आपसी चर्चा से सौहार्दपूर्ण ढंग से हल नहीं किया जा सकता है, दिल्ली में माध्यस्थम् के माध्यम से सुलझाया जाएगा। इसे दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र (डीआईएसी), नई

से सुलझाया जाएगा। इसे दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र (डीआईएसी), नई दिल्ली को भेजा जाएगा। डीआईएसी एकल मध्यस्थ की नियुक्ति करेगा। माध्यस्थम् की कार्यवाही दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र (डीआईएसी) - नई दिल्ली के आज की तारीख के अनुसार यथासंशोधित उन माध्यस्थम् नियमों के अनुसार होगी जिन्हें इस खंड में संदर्भ द्वारा सम्मिलित माना जाता है और इसके अनुसरण में दिया गया अधिनिर्णय सभी पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होगा;

(ii) दिल्ली स्थित न्यायालयों के पास i. माध्यस्थम् कार्यवाही से उत्पन्न किसी मामले अथवा उस पर दिए गए किसी निर्णय सहित इस करार से संबंधित सभी मामलों में अनन्य क्षेत्राधिकार होगा। मध्यस्थता की कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में की जाएगी;

(iii) किसी भी माध्यम से विवाद समाधान की कवायद बातचीत या माध्यस्थम्, के अनिर्णीत रहने तक, पक्षकार इस करार/समझौता ज्ञापन के निबंधनों से आबद्ध होंगे और इस करार के अंतर्गत अपने गैर-विवादग्रस्त दायित्वों का निर्वहन करते रहेंगे।

ग. करार के अनुसार बकाया राशि के भुगतान में विलंब/गैर-अदायगी और उससे उत्पन्न मामलों को भी विवाद या मतभेद में शामिल किया जाएगा। किसी चूक के मामले में, समस्त बकाया ब्याज और अन्य प्रभारों सहित समस्त बकाया राशि प्राप्य और देय हो जाएगी तथा विवाद को माध्यस्थम् हेतु भेजा जाएगा।

घ. प्रत्येक पक्षकार माध्यस्थम् संबंधी कार्यवाहियों की अपनी लागत का वहन और भुगतान करेगा जब तक कि मध्यस्थ द्वारा पंचाट में अन्यथा निर्णय न लिया जाए।

ड. इस करार की अवधि बीत जाने या अस्तित्व में न रहने या समाप्त हो जाने या प्रतिसंहरित हो जाने उसे अवैध घोषित किए जाने के बावजूद इस खंड/अनुच्छेद का यह उपबंध विफल, निरस्त या निष्क्रिय नहीं होगा।

च. यह माध्यस्थम् और क्षेत्राधिकार उपबंध इस करार से उत्पन्न सभी संशोधनों, संपूरणों, पुनर्बयानों, निपटान व्यवस्थाओं पर तब तक लागू होगा जब तक पक्षकारों द्वारा विशिष्ट रूप से छूट प्रदान नहीं की जाती है।"

यथास्वीकृत संशोधन डीपीआरपी के तहत करारों के ऐसे सभी निष्पादकों पर समान रूप से लागू होगा, जो ऋण के माध्यम से निधीयन सहायता के लाभार्थी बन रहे हैं और जिनके पास इस कार्यालय ज्ञापन को जारी करने की तिथि के अनुसार कोई बकाया राशि है।

परियोजना के कार्यान्वयन के लिए ऋण सहायता को शासित करने वाला मूल करार का पत्र संशोधन करार, वर्तमान कार्यालय ज्ञापन जारी होने की तारीख से 45 दिनों की अवधि के भीतर निष्पादकों द्वारा विधिवत स्वीकृति के लिए संलग्न है।

पूर्वोक्त रूप से स्वीकृति संप्रेषित करने में विफल रहने की स्थिति में, कार्यालय ज्ञापन के प्राप्तिकर्ताओं द्वारा इस कार्यालय ज्ञापन की विधिवत प्राप्ति को तत्समान मूल करारों के सभी आशयों और प्रयोजनों के लिए इस कार्यालय ज्ञापन के अनुप्रयोग की स्वीकृति के रूप में माना जाएगा और यह बाध्यकारी संशोधन होगा जो औद्योगिक भागीदार द्वारा स्वीकृति की तारीख से या कार्यालय ज्ञापन के निगर्म से 45 दिन तक, जो भी पहले हो, से प्रभावी होगा।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन और विधि कार्य विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से डीपीआरपी, डीएसटी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ:

1. सचिव, डीएसटी
2. संयुक्त सचिव (प्रशा.), डीएसटी
3. संबंधित फाइल
4. आईएफडी, डीएसटी